न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 45/2018

1 धोली पत्नी दुर्गा।
2 मूलचन्द पुत्र दुर्गा।
3 हरिनारायण पुत्र दुर्गा।
4 अशोक पुत्र दुर्गा।
5 सुमित्रा पुत्री दुर्गा।
6 पांची पुत्री दुर्गा समस्त जाति माली निवासीगण बालाजी नगर तन मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कुनण देवी पत्नी रामस्वरूप कटारिया उम्र 40 साल जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 13 नीमकाथाना जिला सीकर।
2 फूला पुत्र रूड़ा उम्र 60 साल।
3 लिक्ष्मण पुत्र रूड़ा उम्र 50 साल समस्त जाति हरिजन निवासीगण मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 उप पंजीयन अधिकारी महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।
5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।
6 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.04.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बमुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी धोली आदि बनाम कुनण प्रार्थना पत्र संख्या 334/2015 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 6/2020

1 रिछपाल पुत्र सांवलराम उम्र 70 साल जाति माली निवासी जाटाला बालाजी नगर तन मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कुनणी देवी पत्नी रामस्वरूप कटारिया जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 13 नीमकाथाना जिला सीकर।
2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सीपीसी विरूद्व
आदेश दिनांक 31.12.2019 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नीमकाथाना उनवानी रिछपाल बनाम
कुनण देवी मुकदमा नम्बर 263/2019

उपस्थिति :

1. श्री आनन्दीलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.03.2020

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 334/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विरूद्व एवं प्रकरण संख्या 263/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2019 प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनों पत्रावलीयों में निर्णय की प्रतियां अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पति पिता स्व. दुर्गा पुत्र तुलछा ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 516/593 तन ग्राम जाटाहाला पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलांट का आवेदन विचाराधीन निर्णय से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष कुनण देवी की और से आवेदन अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दिनांक 14.09.2018 को अप्रार्थी रिछपाल के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी रिछपाल बावजुद तामील अनुपस्थित रहा इस पर दिनांक 30.07.2019 को एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया। दिनांक 28.08.2019 को रिछपाल की और से आदेश 9 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो विचाराधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 से रिछपाल का आवेदन खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में चले प्रकरण में हुई फर्द मौका में स्पष्ट अंकन है कि विवादित भूमि पर कुनण देवी का कब्जा नही है। पक्षकारों के हक हकुक मूलवाद में तय होगें। विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौति दी हुई है। सीमाज्ञान की कार्यवाही बाला–बाला की गई है अपीलांट मौके पर उपस्थित नही था। अत दोनों अपीले स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें एंव पत्थरगढ़ी की कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1971 से गैर खातेदारी दर्ज हुई है। रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 166 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आवंटन एवं नामान्तकरण को कभी चुनौति नही दी गई है। रेस्पोडेंट 1971 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अपीलांट को विवादित भूमि में आवंटन/गैर खातेदारी का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है। जो विधि सम्मत है धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण की अपील इस न्यायालय में पोषणीय नही है दोनों अपीले सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1971 से गैर खातेदारी दर्ज हुई है। रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 166 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के आवंटन एवं नामान्तकरण को कभी चुनौति नही दी गई है। रेस्पोडेंट 1971 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अपीलांट को विवादित भूमि में आवंटन/गैर खातेदारी का कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है। जो विधि सम्मत है धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण की अपील इस न्यायालय में पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर